आयकर कर्मचारी महासंघ
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल
3, आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल

क0/आकमसं/मप्रछग/2015/ भोपाल, दिनांक 30/01/2015

प्रति,

श्रीमान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
भोपाल

महोदय,

विषय :– मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ अंचल में प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों से उत्पन्न आंदोलनात्मक परिस्थितियों की सूचना–

संदर्भ :– महासंघ का समसंख्यक पत्र दिनांक 27/01/2015

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

उपरोक्त विषय संदर्भ में महासंघ के समस्त पदाधिकारियों से वर्तमान में आहूत आंदोलन और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा दिनांक 29/01/2015 को पारित कुछ स्थानांतरण आदेशों तथा महासंघ के मांग पत्र की मांगो पर गंभीर चर्चा की। समीक्षा के उपरांत महासंघ महोदय की सूचनार्थ तथा अनुकूल कार्यवाही हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करता है।

1. देर से ही सही कुछ साथियों के पदस्थापना आदेशों में संशोधन से उनकी दीर्घ प्रतीक्षित समस्याओं का समाधान हुआ है। इस संबंध में पारित आदेशों के लिये हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं।
2. महोदय हमने केवल स्थानांतरण के मसले पर आंदोलन नहीं किया था। अभी भी अनेक मांगो पर कोई भी कार्यवाही प्रशासन ने नहीं की है।

उदारहरणार्थ :–

1. एन0 आर0 परमार प्रकरण में निरीक्षकों के अतिरिक्त अन्य कैडरों में वरिष्ठता निर्धारण सूची आखिर कब तक जारी हो सकेगी ?
2. 21 दिसम्बर 2014 की समयावधि को कर भारत के अनेक अन्य अंचलों में सभी कैडरों में पदोन्नति होकर संबंधित साथियों की वरिष्ठता और आर्थिक लाभ मिल चुके हैं। हमारा प्रभार सबसे इतने पीछे क्यों कर हुआ ? हम मांग करते हैं कि 1 जनवरी 2015 के बाद पदोन्नत कर्मचारियों को भी सी0बी0डी0टी0 की उक्त समय सीमा का लाभ मिले और उन्हें भी, भले ही वे 1 जनवरी 2015 के बाद ही क्यों न पदोन्नत किये गये हों, 1 जनवरी 2015 से ही पदोन्नत माना जाये।
3. जिन 4 आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति अभी तक रोक कर रखी गई है उनके आदेश कब जारी होंगे ?
4. क्या यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली विकसित की जायेगी कि भविष्य में कोई भी पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारी ऐसी अपमानजनक यातना से नहीं गुजरेगा जहां उसे पदोन्नति का सम्मान देकर पदावनत करने की गलती की जाये।
5. अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में क्या कोई प्रगति हुई है सिवाय इसके कि लगातार देर होने से कदम दर कदम उनमें निराशा भरती जा रही है।
6. एम0ए0सी0पी0 में अनेक कर्मचारियों के नाम **Vigilence Clearance** न आने के कारण छोड़ दिये गये हैं जिनमें इन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। कब तक इनको भी आर्थिक कमोन्नति का लाभ मिल सकेगा ?
7. भोपाल मुख्यालय की ही बात की जाये तो 1.75 एकड़ का प्लाट और मेट्रो वाक के 3 फ्लोर कमशः 9 वर्ष और 3 वर्षों से उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक कार्यालयीन उपयोग में नहीं हैं

और वर्तमान कार्यालयों में उपलब्ध जगह में से ही कटौती करके जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। यही हाल कमोवेश मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ अंचल के उस हर छोटे बड़े कार्यालय में है जहां पुनर्गठन के बाद कार्यालयों की संख्या बढ़ी है। इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था सुचारू हो सकेगी?

8. स्थानांतरण आदेशों की जहां तक बात है तो महासंघ का पूरी तरह स्पष्ट मानना है कि साथी भीमसिंह मीणा को ग्वालियर से केवल आयकर आयुक्त के दवाब के कारण हटाया गया है क्योंकि महासंघ के इस पदाधिकारी के कारण मनमानी करने में उन्हें संभवतः कष्ट हो रहा था। हम पुरजोर मांग करते हैं कि साथी भीमसिंह मीणा का स्थानांतरण रद्द करते हुये उन्हें ग्वालियर प्रभार में ही रखा जाये। क्या एक व्यक्ति के प्रति इतनी दुर्भावना को सही ठहराया जा सकता है।

9. अन्वेषण वृत में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को आखिर स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाता और जहां वे स्थानांतरित हो भी गये हैं तो उन्हें महीनों सालों तक रिलीव्ह नहीं किया जाता तब प्रशासन की तत्परता कहां चली जाती है ?

10. जैसा कि हमने पहले भी कहा अब जबकि शैक्षणिक एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आ चुके हैं ऐसे में कर्मचारियों के इन्टर रीजन स्थानांतरणों को आगामी सामान्य वार्षिक स्थानांतरण तक रोक दिया जाये। यदि प्रशासन सहयोग करे तो महासंघ बचनबद्ध होने को तैयार है कि अप्रैल 2015 में सामान्य वार्षिक स्थानांतरण किये जा सकते हैं। इस समय इनके स्थानांतरण को प्रशासन कृपया अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाये क्योंकि शार्टेज तो सभी जगह मौजूद है और एक दो निरीक्षकों के स्थानांतरण से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अतः पुनः अनुरोध है कि इन समस्त साथियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया जाये। ऐसे अनेक स्थानांतरण आवेदन लंबित पड़े हैं जहां कर्मचारियों ने परस्पर सहमति के आधार पर खुद के खर्चे पर स्थानांतरित होने का निवेदन किया है उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आदरणीय महोदय यदि उपरोक्त मांगो का समाधान हो जाता है तो महासंघ अपना वर्तमान आंदोलनात्मक कार्यक्रम वापस ले सकता है। विभाग एवं परिवार प्रमुख होने के नाते महासंघ आपसे यह आग्रह करता है कि कृपया आप अपने अंतिम 30 दिनों के विभागीय सेवाकाल में सभी समस्याग्रस्त सामान्य वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें ताकि इस संपूर्ण प्रभार में आपकी सुखद स्मृति बनी रहे।

यदि हमारी उपरोक्त न्यायोचित मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमें विवश होकर अपने आंदोलन को जारी रखना होगा तथा इसे और व्यापक बनाने का प्रयास करना होगा।

सधन्यवाद।

भ व दी य,

यशवंत पुरोहित
महासचिव
आयकर कर्मचारी महासंघ
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल

प्रतिलिपि :–

1. साथी अशोक बी0 सालुंके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं साथी के0पी0राजगोपाल राष्ट्रीय महासचिव, आयकर कर्मचारी महासंघ, मनीषीनाथ भवन, ए–2/95, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ तथा बोर्ड स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त सर्कल सचिवालय पदाधिकारी तथा शाखा सचिव, आयकर कर्मचारी महासंघ, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल की ओर तत्काल कार्यवाही हेतु।

महासचिव
आयकर कर्मचारी महासंघ
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल